


विजय लक्ष्मी बनाम तहसीलदार अजमेर व अन्य

किस्म मुकदमा/अपील/75/2020/00713

| तारीख हुक्म | हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (2020/00713) | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 31.08.2021 | <p>अपील. अभि. श्री लेखू मंघानी</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अभिभाषक उपस्थित। अपीलार्थी अधिवक्ता का अपील विद्धो किये जाने के प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो शामिल मिसल है। पत्रावली प्रकरण में रेस्पों0 सं0 2 की तलबी हेतु नियत है। अपीलार्थी अभि. को अपील विद्धो प्रार्थना पत्र पर सुना गया।</p> <p>अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते अपील विद्धो किये जाने बाबत् बहस में दौराने बहस कमोवेश प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए निवेदन किया गया कि उक्त अपील के प्रकरण को आगे नही चलाकर विद्धो करना चाहता है। अतः उक्त अपील को विद्धो किये जाने की अनुमति प्रदान करते हुये इसे दाखिल दफ्तर किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान किये जावे।</p> <p>अतः अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील को आगे नहीं चलाकर विद्धो करवाना चाहते है जिससे न्यायहित में विद्धो प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में कोई संशय नहीं है। अतएव प्रार्थी/अपीलार्थी अभिभाषक का अपील विद्धो किये जाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा विद्धो किये जाने के आधार पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> | |


 (डॉ. बीना प्रधान)
 संभागीय आयुक्त,
 अजमेर